

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2011—आश्विन 5, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ ए-6-68-2010-1-पांच (68).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. ए-3-195-2005-1-पांच(30) दिनांक 31 मार्च, 2006 के साथ पठित अधिसूचना क्र. ए-5-8-79(31) वि क-पांच दिनांक 3 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक 70 एवं 70 क से संबंधित कॉलम (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	पदनाम	वृत्त का नाम	वार्ड का नाम, वार्ड का क्षेत्र/क्रमांक यदि कोई हो	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“70	वाणिज्यिक कर अधिकारी, शहडोल वृत्त.	शहडोल वृत्त	राजस्व जिला शहडोल एवं उमरिया में समाविष्ट क्षेत्र.	शहडोल
70 क	वाणिज्यिक कर अधिकारी, अनूपपुर वृत्त.	अनूपपुर वृत्त	राजस्व जिला अनूपपुर में समाविष्ट क्षेत्र.	अनूपपुर.”

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ 6-ए-68-2010-1-पांच(68).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-ए-68-2010-1-पांच(68) दिनांक 27 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th September 2011

No. F-A-6-68-2010-1-V(68).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Notification No. A-3-195-2005-1-V(30), dated 31st March, 2006 read with notification No. A-5-8-79-(31)-ST-V, dated 3rd September, 1979:—

#### AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, for the entries of column (4) relating to serial number 70 and 70A, the following entries shall be substituted, namely:—

S. No.	Designation	Name of the circle	Name of the Ward/ Area, Number of the Ward, if any	Headquarter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“70	Commercial Tax Officer, Shahdol circle.	Shahdol circle.	Area comprising of revenue District of Shahdol and Umariya.	Shahdol
70A	Commercial Tax Officer, Anuppur circle.	Anuppur circle.	Area comprising of revenue District Anuppur.	Anuppur.”.

This notification shall be effective from 1st October, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.